भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2269
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भिंड और दतिया जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत नल कनेक्शन

2269. श्रीमती संध्या रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भिंड और दतिया जिलों के उन परिवारों का वर्ष और विधान सभा/पंचायत/ग्राम-वार ब्यौरा क्या है जिनमें जल जीवन मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, जल ही अमृत और मिशन अमृत सरोवर जैसी योजनाओं के अंतर्गत नल से जल उपलब्ध कराया गया है:
(ख) ऐसे जिलों में वर्तमान में जल संकट का सामना कर रहे गांवों की विधान सभा-वार संख्या कितनी है,
(ग) भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए उठाए गए विशेष कदमों/कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना क्या है और अगले दो वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से, मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

दिनांक 10.02.2026 की सूचना के अनुसार, भिंड जिले के 1.06 लाख ग्रामीण परिवारों में से 0.98 लाख (92.45%) से अधिक परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसी तरह, 10.02.2026 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दतिया जिले के 2.56 लाख ग्रामीण परिवारों में से 2.14 लाख (83.85%) से अधिक परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसके अलावा, भिंड और दतिया और मध्य प्रदेश के जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड पर देखे जा सकते हैं:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाया गया है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अमृत / अमृत 2.0 और समन्वय के माध्यम से अब तक दतिया जिले में 19,267 नल जल कनेक्शन और भिंड जिले में 18,366 नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

'जल ही अमृत' अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उप योजना में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रण क्षमता निर्माण और उपचारित निर्वहन अपशिष्ट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करने पर है। अब तक, भिंड और दतिया जिले में प्रत्येक में 01 सीवेज शोधन संयंत्र को मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकन किए जाने की सूचना है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मिशन अमृत सरोवर को अप्रैल 2022 में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) के निर्माण या कायाकल्प के लिए शुरू किया गया था, जो देश भर में कुल 50,000 हैं। 09.02.2026 तक भिंड में 115 और दतिया में 71 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है।

(ग): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सूचित किया है कि जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संरक्षण और गुणवत्ता सहित इससे संबंधित पहलुओं

का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका उत्प्रेरण, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं के संदर्भ में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

तथापि, भिंड और दतिया जिले सहित मध्य प्रदेश राज्य में भूजल के सतत प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे अनेक उपाय, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) और कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना (2020) जैसी पहलें शामिल हैं, वर्षा जल संचयन संरचनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भूजल उपयोग को नियंत्रित करता है और निरंतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता को विशेष रूप से दर्शाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों के साथ सहयोग से भारत के जीवंत भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन करता है। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है जो मध्य प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में भिंड में लगभग 5,721 संरचनाओं और दतिया में 4,217 संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सहित देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं:
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/202407 16706354487.pdf

(घ): माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

*****